संख्या–512/XXIV(1)/2008–11/2005

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
मयूर विहार, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून दिनांकः 06 ~~मई~~ जून 2008

विषयः– बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बी.टी.सी. प्रशिक्षा प्रारम्भ किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या 667/XXIV(1)/2005–11/2005 दिनांक 05 नवम्बर, 2005, शासनादेश संख्या 911/XXIV(1)/2008–11/2005 दिनांक 03 जनवरी, 2006 तथा शासनादेश संख्या 986/XXIV(1)/2006–11/2005 दिनांक 22.12.2006 को तत्काल प्रभाव से अतिकमित करते हुए आगामी शैक्षिक सत्र 2008–09 से द्विवर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण नियमित रूप से पुनः प्रारम्भ करने का निर्णय लेते हुए निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती हैः–

1. <u>प्रवेश परीक्षा हेतु पात्रता–</u>

(क) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी हो।

(ख) अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अपने गृह जनपद से ही बीटीसी प्रशिक्षण हेतु आवेदन किया जा सकेगा।

(ग) नये अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर पुनः आवेदन पत्र आंमत्रित किये जायं। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित आयु सीमा से अधिक हो गयी हो तो भी ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा हेतु अर्ह माना जायेगा । नये आवेदकों द्वारा बीटीसी प्रशिक्षण हेतु पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

(घ) अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण प्रारम्भ होने वाले वर्ष की प्रथम जुलाई को 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक तथा समस्त महिला अभ्यर्थियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। जबकि शरीरिक रूप से विकलांग (नि:शक्त) व्यक्तियों को आयु सीमा में 10 वर्ष की अधिकतम छूट प्रदान की जायेगी। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी (पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों की यदि निर्धारित अधिकतम आयु सीमा अधिक भी हो तो भी उन्हे पात्रता सूची में रखा जायेगा)।

(ङ) बीटीसी प्रशिक्षण हेतु कुल सीटों के सापेक्ष 50 प्रतिशत पुरूष एवं 50 प्रतिशत महिलाओं को चयनित किया जायेगा।

(च) आरक्षण नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 19 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियो के लिए 04 प्रतिशत तथा अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियो को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार क्षैतिज (होरिजेन्टल) आरक्षण अनुमन्या होगा:-

1.	भूतपूर्व सैनिक	-02 प्रतिशत
2.	विकलांग व्यक्ति	-05 प्रतिशत
3.	स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों के आश्रित	-02 प्रतिशत

जो महिला/पुरूष अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग में क्षैतिज (होरिज़ेन्टल) आरक्षण अनुमन्य होगा।

(छ) बीटीसी प्रशिक्षण हेतु जनपदवार आवंटित सीटों के प्रति 50 प्रतिशत विज्ञान वर्ग तथा 50 प्रतिशत सामान्य विषय वर्ग (विज्ञानेत्तर वर्ग) के अभ्यर्थियों को चयनित किया जायेगा। विज्ञानें वर्ग में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर विज्ञान वर्ग की सीमा 50 प्रतिशत के अन्तर्गत कृषि वर्ग के अभ्यर्थी भी अर्ह होगें। यदि विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी पूर्णतः उपलब्ध है तो कृषि वर्ग के अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन केवल विज्ञानेत्तर वर्ग में ही स्वीकार किया जायेगा।

2. <u>चयन का आधार:-</u>

(क) बीटीसी प्रशिक्षण हेतु चयन, शैक्षिक योग्यता तथा पाठ्य सहगामी किया कलापों के लिए निर्धारित गुणांकों के योग के उपरान्त प्राप्त अंकों के आधार पर जनपदवार सूची बनाते हुये एक रिक्त पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा, तथा

इस लिखित परीक्षा के परिणाम पर श्रेष्ठता के आधार पर बीटीसी पाठ्यकम में प्रवेश दिया जायेगा।

(ख) बी0टी0सी0 प्रवेश हेतु वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा का आयोजन शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, उत्तराखण्ड, रामनगर द्वारा कराया जायेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के शिक्षण अभिरूचि के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। लिखित परीक्षा 75 अंको की होगी तथा इस हेतु 1 घण्टा 30 मिनट का समय निर्धारित होगा। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शीघ्रता/त्वरित गति से किये जाने के उद्देश्य से ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन आधारित होगी।

(ग) शैक्षिक योग्यता– परीक्षा का गुणांक

1. हाईस्कूल $\frac{\text{प्राप्तांक प्रतिशत}}{10}$ (अधिकतम 10 अंक)

2. इण्टर $\frac{\text{प्राप्तांक प्रतिशत} \times 2}{10}$ (अधिकतम 20 अंक)

3. स्नातक $\frac{\text{प्राप्तांक प्रतिशत} \times 4}{10}$ (अधिकतम 40 अंक)

(घ) पाठ्यसहगामी एवं अन्य कियाकलाप

(i) क. एनसीसी/स्काउट/एनएसएस एन.एस.एस.'सी' प्रमाण पत्र/ एनसीसी–सीनियर डिविजन 'सी' / जी–2 प्रमाण पत्र, स्काउड/ गाइड राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पर 05अंक

ख. एनएसएस 'बी' प्रमाण पत्र/एनसीसी "बी"/ जी–1प्रमाण पत्र/स्काउट/गाइड राज्य पुरस्कार प्राप्त 03 अंक

ग. एनएसएस 'ए' प्रमाण पत्र/ एनसीसी 'ए'/ए–1/ए–2/जे/ जे–1/ 'जे'–2 प्रमाण पत्र, स्काउट गाइड तृतीय सोपान उत्तीर्ण– 02अंक

(ii) खेलकूद

अ. राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग 05अंक

ब.	राज्य स्तर पर प्रतिभाग	03अंक
स.	मण्डल/अन्तर्विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिभाग	02अंक

टिप्पणी:– घ (i) एवं घ (ii) के अन्तर्गत उल्लिखित प्रमाण पत्रों पर अधिकतम अधिभार 10 अंक तक ही दिया जायेगा।

(ड.) राज्य सरकार/ उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यरत अर्ह शिक्षा मित्र/ आचार्य (शिक्षा गारण्टी केन्द्र)/ अनुदेशक (वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र) को उनकी अविरल सेवा पर प्रत्येक एक शैक्षिक सत्र के लिए 05 अंक के मानक से अधिकतम 15 अंक तक अधिभार दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अविरल सेवा संबधी प्रमाण पत्र संबंधित जनपद के अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) जो वह कार्यरत हो, द्वारा निर्गत किया जायेगा।

3. <u>प्रवेश हेतु चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची</u>

क– उपर्युक्त कमांक–2 (ख) से 2 (ड.) के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा अर्जित गुणाकों के आधार पर जनपदवार एवं आरक्षित श्रेणीवार निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत उनकी पृथक–पृथक योग्यता सूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त गुणांक के आधार पर अधिकतम से न्यूनतम के कम में योग्यता सूची तैयार की जायेगी। बीटीसी प्रशिक्षण हेतु विज्ञापित सीटों की संख्या के सापेक्ष चयन सूची के साथ 25 प्रतिशत अभ्यर्थियों की वर्गवार /श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची भी निर्गत की जायेगी।

ख– जिन जनपदों के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी महिला/ पुरूष उपलब्ध न हो वहां इन सीटों को भरने हेतु अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की चयन/प्रतीक्षा सूची निर्गत की जायेगी।

ग– मैरिट लिस्ट को उत्तराखण्ड की बेवसाईट में प्रकाशित किया जायेगा।

4. <u>जनपद स्तर पर बीटीसी प्रवेश परीक्षा हेतु समिति का गठन–</u> जनपद स्तर पर बीटीसी प्रवेश से संबंधित मामलों पर कार्यवाही हेतु निम्न समिति गठित की जायेगी।

1. जिला शिक्षा अधिकारी– अध्यक्ष।
2. प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान– सदस्य सचिव।
3. अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)– सदस्य।
4. जिलाधिकारी द्वारा नामित एक श्रेणी–2 का अधिकारी– सदस्य (अनु0जाति/अनु0जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग से संबधित)

5. जनपद के राजकीय बालिका
इण्टर कालेज की बरिष्ठतम प्रधानाचार्या– सदस्य।
जिला शिक्षा अधिकारी बीटीसी प्रवेश परीक्षा के नियंत्रक अधिकारी होगें।

5. बीटीसी द्विवार्षिक प्रशिक्षण एवं सत्र मूल्यांकन–
संबंधित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में द्विवार्षिक बी. टी.सी. प्रशिक्षण कोर्स हेतु अध्ययनरत प्रशिक्षार्थियों का सैद्धान्तिक एवं प्रयोगिक कार्यो का वार्षिक मूल्यांकन उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर द्वारा परीक्षा आयोजित कर सम्पादित कराया जायेगा। उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध कराये जायगें।

6– पूर्व में बी.टी.सी. प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जनपद के जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवर्ष 100 अभ्यर्थियों की प्रवेश क्षमता के आधार पर विज्ञापित कुल 1300 पदों में 25 प्रतिशत पद और बढ़ाये जाते हैं। इस प्रकार कुल पदो की संख्या–1625 एवं प्रति जनपद वार पदों की सख्या–125 होगी।

7– सामान्य श्रेणी/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रू0–80/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु रू0 40/– एवं सभी वर्गो के निशक्तः अभ्यर्थियों के लिए रू0 25/– का शुल्क बीटीसी प्रशिक्षण हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित किया जाता है।

8– प्रवेश परीक्षा के सुचारू रूपेण आयोजन हेतु निदेशालय विद्यालयी शिक्षा द्वारा परीक्षा केन्द्रों का पुनः निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।

कृपया उक्तानुसार अविलम्ब आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद मयूर विहार, देहरादून।

5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. नरेन्द्र नगर, टिहरी गढवाल।
6. सचिव, विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
7. एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
8. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
9. अपर शिक्षा निदेशक, गढवाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल (निदेशक के माध्यम से)
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), प्राचार्य डायट उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
अपर सचिव।